



e/; insk 0; kol kf; d ijh{kk e.My] Hkksiy

चयन भवन, मेन रोड नं. 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल – 462011

फोन नं. 0755–2578801, 02, 03, 04 फैक्स : 0755–2550498

ई-मेल : vyapam@mp.nic.in वेबसाइट : www.vyapam.nic.in

Animal Husbandary Diploma Entrance Test - 2013

ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की प्रारम्भ तिथि	25.02.2013
ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की अंतिम तिथि	26.03.2013
आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र में संशोधन करने की प्रारम्भ तिथि	27.03.2013
आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि	05.04.2013
परीक्षा दिनांक व दिन	05.05.2013 (रविवार)
परीक्षा शुल्क	अनारक्षित / अन्य पिछ़ा वर्ग के लिए :-
	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए :-
ऑनलाईन आवेदन–पत्र हेतु एम.पी. ऑनलाईन का शुल्क रु. 50/- देय होगा।	

| e; | kj . kh

परीक्षा, दिनांक एवं दिन	परीक्षा प्रारम्भ समय	उत्तरशीट्स वितरण समय	उत्तरशीट में आवश्यक जानकारियाँ भरने का समय	प्रश्न–पत्र वितरण समय	प्रश्न–पत्र परीक्षण का समय	उत्तरशीट में उत्तर भरने का समय
05.05.2013, रविवार	प्रातः 10:00 बजे से	प्रातः 10:00 बजे से	प्रातः 10:00 से 10:10 बजे तक (10 मिनट)	प्रातः 10:10 बजे	प्रातः 10:10 से 10:15 बजे तक (05 मिनट)	प्रातः 10:15 से 12:15 बजे तक (2:00 घंटे)

ukv %&

- ijh{kk i kj lk gkus ds 15 feuV ckn ijh{kk d{hni e; igpus ij vH; FkhZ dks ijh{kk e; cBus dh vuqfr ugha gkxhA
- ijh{kkFkhZ dks ijh{kk mijkr ijh{kk d{k NkMts ds i wZ vi uh mRrj'khV oh{kd dks I k{uk vfuok; l gA
- I V; myj@ekckbly Qku] dYdYV] ykll Vcy] jQ i s j vfn ijh{kk d{k e; ys tkuk oftr gA
- vkllykbLu vkonu&i = Øekd ds }kj k gh fyf[kr ijh{kk gsrq vH; FkhZ vi uk i ps k&i = i klr dj I drs gA vr% vkonu&i = Øekd vko'; d : i I s I lkky dj j [k ftI dh I elr tokcnkjh@ftEenkjh vkond dh gh gkxhA

Diploma in Animal Husbandry Entrance Test - 2013

fɔ;k; l ph

v;/ k; & 1
fun;k, oa i h{k k l pkyu fu; e

I - Øa	fooj .k	fu; e Øekd	i "B Øekd
1	ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरने की प्रक्रिया	1.1	3
2	ऑनलाईन आवेदन—पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज	1.2	3
3	ऑनलाईन आवेदन पत्र की जानकारी में संशोधन	1.5	4–5
4	प्रवेश—पत्र	1.7	5
5	परीक्षा शहर	1.8	5
6	अनुचित साधन	1.11	6
7	परीक्षा पद्धति	1.12	6
8	प्रश्न पुस्तिकाओं के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन	1.16	7
9	मॉडल आंसर्स/फायनल आंसर्स	1.17	7–8
10	परीक्षा परिणाम का प्रकाशन	1.18	8

v;/ k; & 2

lk'kj kyu fMlykek i dsk fu; e 2013

I - Øa	fooj .k	fu; e Øekd	i "B Øekd vfgUnlh½	i "B Øekd vñkstlh½
1	प्रवेश नियम	4.0	10–13	15–18
2.	प्रवेश हेतु पात्रता	4.4	12	16
3.	प्रवेश की प्रक्रिया	4.6	12–13	17–18
4.	शिक्षण तथा अन्य फीस	5.0	13	18
5.	स्थान टेबिल 01 एवं 02	...	11	15

v;/ k; & 3

ik: i 01 ls 02 & i "B Øa 20 ls 21 rd

v;/ k; & 4

ikB; Øe & i "B Øa 23 ls 26 rd

Animal Husbandry Diploma Entrance Test & 2013

v/; k; & 1
funʃk , oa i j h{kk | pkyu fu; e

egRoi wkl %&

ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन काउंसिलिंग/प्रवेश के समय मूल दस्तावेजों के आधार पर संबंधित विभाग/संस्था द्वारा किया जायेगा। अतः बाद में यह पता चलता है कि सफल आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरते समय गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी जानकारी को छुपाया है, ऐसी स्थिति में यदि यह पाया गया कि कोई उम्मीदवार झूठी/गलत जानकारी देकर या सुसंगत तथ्यों को छुपा कर प्रवेश पाने में सफल हो गया है या प्रवेश के पश्चात् किसी भी समय यह पाया गया कि आवेदक को किसी गलती या चूकवश प्रवेश मिल गया है, तो आवेदक को दिया गया प्रवेश संस्था प्रमुख/प्रवेश प्राधिकरण/मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा उसके अध्ययन काल के दौरान तुरंत बिना किसी सूचना के रद्द किया जा सकेगा।

1-1 vkllykbLu vkonu&i = Hkj us dh ifØ; k %&

- (1) ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरने के लिए वेबसाईट www.vyapam.nic.in; www.mponline.gov.in का उपयोग करें।
- (2) उपरोक्त उल्लेखित वेबसाईट पर उपलब्ध ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरने संबंधी निर्देशों को भलीभांति पढ़ने के उपरांत ही भरें।
- (3) ऑनलाईन आवेदन—पत्र एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत क्योस्क को नकद निर्धारित परीक्षा शुल्क **Animal Husbandry Diploma Entrance Test &2013** हेतु अनारक्षित/ अन्य पिछड़ी जाति के लिए 400/- तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 200/- तथा अतिरिक्त क्योस्क शुल्क रु. 50/- का भुगतान कर भरा जा सकता है। इसके अतिरिक्त स्वयं के स्तर से भी उपरोक्त उल्लेखित वेबसाईट्स से डेबिट(कोई भी वीजा/मास्टर/मास्टरो कार्ड)/क्रेडिट कार्ड (कोई भी वीजा/मास्टर कार्ड) या नेट बैंकिंग के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान कर ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरा जा सकता है।
- (4) शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ऑनलाईन आवेदन—पत्र की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि उसमें उल्लेखित आवेदन—पत्र क्रमांक का उपयोग कर मण्डल की वेबसाईट के माध्यम से प्रवेश—पत्र प्राप्त किया जा सके।

1-2 vkllykbLu vkonu&i = ds | kfk | ayku fd, tkus okys nLrkost %&

आवेदक का फोटोग्राफ व हस्ताक्षर स्कैन कर ऑनलाईन आवेदन—पत्र के साथ संलग्न किया जाना होगा। इसके अतिरिक्त कोई भी दस्तावेज/प्रमाण—पत्र ऑनलाईन आवेदन—पत्र के साथ संलग्न नहीं किया जाना है।

- (1) आवेदक द्वारा एक बार ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के उपरांत यदि वह दूसरी बार ऑनलाईन आवेदन पत्र भरता है तो उसके नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि व फोटो एक समान होने पर आवेदक द्वारा पूर्व में भरे गए आवेदन पत्र का क्रमांक प्रदर्शित होगा, और यह जानकारी ली जायेगी कि क्या आवेदक पूर्व में भरे गए आवेदन को निरस्त करना चाहता है? यदि आवेदक निरस्त करने में सहमत नहीं है, तो उसके द्वारा भरा जा रहा द्वितीय आवेदन नहीं भरा जा सकेगा तथा पहले भरा हुआ आवेदन ही मान्य होगा। दूसरी तरफ सहमत होने पर पूर्व में भरा गया आवेदन

निरस्त कर वर्तमान आवेदन को मान्य करते हुए स्वीकार किया जाएगा। इस स्थिति में पूर्व में भरे गए आवेदन के साथ आवेदक द्वारा भुगतान शुल्क राजसात किया जावेगा।

1-4 *vkonus i = ds | kf yxk; s tkus okys Qk\kxkQ , oagLrkfj | s | cfkr fun\ k%*

- (i) आवेदन पत्र के साथ लगाया जाने वाला फोटोग्राफ रंगीन व साईज 3.5 से.मी. x 4.5 से.मी. का होना चाहिये, जिसकी गुणवत्ता अच्छी एवं पृष्ठभाग (background) सफेद होना चाहिये।
 - (ii) पोलोराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा।
 - (iii) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाने वाला फोटोग्राफ परीक्षा की तिथि से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये तथा फोटोग्राफ पर खिंचवाने की दिनांक व आवेदक के नाम का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये।
 - (iv) काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ नहीं होना चाहिए। यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है, तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा।
 - (v) जो फोटोग्राफ ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जायेगा, वही फोटोग्राफ काउंसिलिंग/चयन प्रक्रिया में उपयोग में लाया जाना होगा। अतः ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ लगाये जाने वाले फोटोग्राफ की कम से कम 5 प्रतियाँ आवेदक को अपने पास सुरक्षित रखना होगा।
 - (vi) ऑनलाईन आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर फोटो के नीचे किये जाने चाहिए।
 - (vii) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ लघु हस्ताक्षर नहीं किये जाने चाहिए।
 - (viii) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ दिए गए हस्ताक्षर के समान ही हस्ताक्षर परीक्षा हाल, काउंसिलिंग/चयन एवं प्रवेश के समय किये जाने होंगे, इसका विशेष ध्यान रखा जाना होगा।
 - (ix) अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में हस्ताक्षर नहीं किये जाने चाहिए।
 - (x) ऑनलाईन आवेदन पत्र में एक से अधिक हस्ताक्षर नहीं होना चाहिए।
 - (xi) ऑनलाईन आवेदन पत्र में हस्ताक्षर स्कैनिंग उपरांत पूर्णतः स्पष्ट होना चाहिए।
- 1-5 *vklyykb\l u vkonus i = dl tkudkj\h e\ | \kk\ku%*
- vklyykb\l u vkonus i = e\ vkondka }jk\k | \kk\ku djus dh i f\0; k fuEuku\ kj fc\ln\yks ds vl\kk\j i j gk\kh%*

1-5-1 ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरने की अंतिम तिथि के अगले दिन से 10 दिवस तक स्वयं आवेदक द्वारा इन्टरनेट से अथवा एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से अपने ऑनलाईन आवेदन—पत्र में संशोधन किया जा सकेगा। यह सुविधा केवल ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरने की निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क राशि का भुगतान कर सफलतापूर्वक भरे गए आवेदन—पत्रों के लिए ही उपलब्ध होगी।

1-5-2 संशोधन हेतु निर्धारित 10 दिन की अवधि में आवेदक द्वारा एक या एक से अधिक बार अपने आवेदन—पत्र में संशोधन किया जा सकेगा, जिसके लिए प्रत्येक बार आवेदक को संशोधन शुल्क रु.100/-—एवं पोर्टल शुल्क रु. 50/- का भुगतान एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना होगा। इस प्रक्रिया में किसी आवेदक द्वारा यदि श्रेणी अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग के स्थान पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का संशोधन किया जाता है, तो उसके द्वारा भुगतान की गई परीक्षा शुल्क राशि में से अजा/अजजा के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क में छूट की राशि वापस नहीं की जायेगी। परन्तु यदि किसी आवेदक द्वारा अनु.जाति/अनु.जनजाति श्रेणी से अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग का संशोधन किया जाता है, तो उसे अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क राशि में पूर्व में जमा की गई राशि का समायोजन कर शेष राशि का भुगतान करना होगा।

1-5-3 इस प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदक को अन्य प्रविष्टियों सहित फोटो, हस्ताक्षर व अंगुठा निशानी में संशोधन की सुविधा उपलब्ध होगी। संशोधन के लिए निर्धारित अवधि में स्वयं आवेदक द्वारा एप्लीकेशन फार्म नंबर, ट्रांजेशन आई.डी. नंबर व जन्मतिथि का उपयोग कर अपने

ऑनलाईन आवेदन—पत्र में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा तथा ऐसे किसी भी संशोधन के लिए आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी। एस्लीकेशन फार्म नंबर, ट्रांजेशन आई.डी. नंबर, व्यापम फार्म नंबर, मोबाईल नंबर एवं ई—मेल आई.डी. में संशोधन नहीं किया जा सकेगा।

1-5-4 संशोधन के लिए निर्धारित समयावधि के पश्चात् किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा व किसी भी आवेदन पर मण्डल द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

1-6 LØWuh@vkllykblu vkonu&i = dk fujLrhdj.k %&

आवेदक द्वारा उपलब्ध करवाये गये फोटो एवं हस्ताक्षर की स्क्रूटनी की जायेगी। जिन आवेदकों द्वारा नियम पुस्तिका में उल्लेखित फोटो एवं हस्ताक्षर के निर्धारित मापदंड के अनुरूप फोटो/हस्ताक्षर उपलब्ध नहीं करवाये जाते हैं, फोटो अनुपलब्ध है, हस्ताक्षर अनुपलब्ध है, ऐसे प्रकरणों को स्क्रूटनी उपरांत निरस्त किया जायेगा तथा ऐसे आवेदकों को टेस्ट एडमिट कार्ड जारी नहीं किये जायेगे। आवेदन पत्र निरस्त की सूचना मण्डल की बेवसाईट पर उपलब्ध होगी। एक बार आवेदन पत्र निरस्त होने के उपरांत किसी भी स्थिति में मान्य नहीं किया जावेगा।

1-7 i jh{k k i dsk&i = (Test Admit Card) :-

मण्डल द्वारा नियमानुसार मान्य आवेदन—पत्र के अभ्यर्थियों को ऑनलाईन प्रवेश—पत्र (Test Admit Card-TAC) मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध कराए जायेंगे। अभ्यर्थियों को प्रवेश—पत्र पृथक से डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जायेंगे।

i dsk&i = i klr djus dh i fØ; %& अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन vkonu&i = Øekd का प्रयोग करते हुए प्रवेश—पत्र उक्त वेबसाईट से मुद्रित कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। मुद्रित किए हुए प्रवेश—पत्र को सत्यापित करवाने की आवश्यकता नहीं होगी।

uklV& i dsk i = tkjh gkus ds mijkar fdI h rjg dk =fV I qkkj ugha fd; k tk; xk ,oa fdI h Hkh i dkj dh =fV nf"Vxkpj gkus ij e. My vkllykblu vkonu&i = dks jnn@fujLr@ i fjofrl djus dk vf/kdkj I jffkr j [krk gA

1-8 i jh{k k 'kgj o i jh{k k I e; %& ; g i jh{k fuEufyf[kr 'kgjk e; vk; kftr dh tk; xk

1. इंदौर	2. जबलपुर	3. रीवा
----------	-----------	---------

अभ्यर्थियों की संख्या कम होने पर उसे परिवर्तित/निरस्त करने का अधिकार मण्डल सुरक्षित रखता है। लिखित परीक्षा निर्धारित परीक्षा केन्द्रों में i kr% 1000 I s nkj gj 12%5 cts तक आयोजित की जायेगी। परीक्षा केन्द्र की जानकारी प्रवेश—पत्र पर अंकित होगी।

1-9 i jh{k gky e; ys tkus grq vko ; d I kexh %&

केवल प्रवेश—पत्र एवं काला बॉलप्वाइंट पेन।

1-10 इस परीक्षा में किसी भी प्रकार के Calculator उपयोग की मनाही है अर्थात् Scientific Calculator, Mobile Phone, Programmable Calculator, Watch Alarms, Listening Devices, Paging Devices (Beepers), Recording Devices, Protectors, Compasses, Scales आदि पूर्णतः वर्जित है।

1-11 vufpr | k/ku %Unfair Means, UFM% &

अनुचित साधन (यू.एफ.एम.) :— निम्नलिखित में से कोई भी क्रियाकलाप/गतिविधि परीक्षार्थी द्वारा उपयोग में लाने पर उसे अनुचित साधन (यू.एफ.एम.) के अंतर्गत माना जावेगा :—

- (क) परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क।
- (ख) अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना या परीक्षार्थी के स्थान पर अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित होना।
- (ग) परीक्षा कक्ष में अपने पास किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री रखना।
- (घ) परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफूसी करना, ईशारे करना व अन्य प्रकार से संपर्क साधना।
- (ड.) अन्य परीक्षार्थी की उत्तरशीट या प्रश्नपुस्तिका से अन्य किसी प्रकार से नकल करना।
- (च) अन्य परीक्षार्थी के साथ उत्तरशीट या प्रश्नपुस्तिका की अदला—बदली करना।
- (छ) प्रतिबंधित सामग्री पाये जाने पर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौंपने से इंकार करना या उसे स्वयं नष्ट करना।
- (ज) नकल प्रकण से संबंधित दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना।
- (झ) सक्षम अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना।
- (ज) सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार उत्तरशीट या अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना।
- (ट) परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक चोट पहुँचाना।

उपरोक्त अनुचित साधनों तथा अभ्यर्थी के किसी अन्य कृत्य को पर्यवेक्षक/केन्द्र अधीक्षक/वीक्षक द्वारा अनुचित साधन की श्रेणी माना जाता है, तो उस पर न्यायिक कार्यवाही की जायेगी। अभ्यर्थी की उत्तरपुस्तिका को अनुचित साधन के अंतर्गत मानते हुए मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा उसका अभ्यर्थित्व निरस्त कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के अनुचित साधन का उपयोग किये जाने पर अभ्यर्थी को पुलिस को आवश्यक कार्यवाही हेतु सौपा जायेगा और उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

; fn dkbz Ø; fDr fdl h vU; mEhnokj ds LFkku ij ijh{k k e; fEfyr gksk gS rks og dR; ij: i/kkj.k (**IMPERSONATION**) dh Jskh e; vk; skA ij: i/kkj.k dk dR; fof/k ds vuq kj vijk/k gA, s vijk/k ds fy, vkonudrkz, ml ds LFkku ij ijh{k k e; cBu okyk Ø; fDr fof/k ds vuq kj l tk ;k t ekuk, oa nkuka l s nf. Mr fd; s tk l dskA l kfk gh mEhnokj dk ijh{k k i f. kke Hkh fujLr fd; k tk; sk A

विभाग द्वारा दस्तावेजों के परीक्षण/सत्यापन व नियुक्ति के समय कोई आवेदक या उसके दस्तावेज फर्जी या संदिग्ध पाये जाते हैं, तो विभाग द्वारा उक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त करते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा कर मंडल को अवगत कराया जायेगा, ताकि मंडल स्तर से संबंधित अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम निरस्त किया जा सके।

1-12 ijh{k k i) fr %&

परीक्षा में एक प्रश्न—पत्र होगा, प्रश्न पत्र के अंतर्गत 40 प्रश्न भौतिक शास्त्र, 40 प्रश्न रसायन शास्त्र एवं 20 प्रश्न सामान्य ज्ञान के होंगे। इस परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 100 प्रश्नों का एक प्रश्न—पत्र होगा, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उसमें संबंधित गोले को ओ.एम.आर. उत्तरशीट पर काले बॉल प्वाइंट पेन से काला करना होगा। उत्तरशीट की समस्त प्रविष्टियाँ भी काले बॉल प्वाइंट पेन से करना होगी।

1-13 ikB; Øe %&

पाठ्यक्रम नियम पुस्तिका के अध्याय—4 में दर्शाया गया है।

1-14 eW; kdu i) fr %

वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। गलत उत्तर अंकित करने या एक से अधिक उत्तर (Multiple marking) अंकित करने एवं प्रश्नों के उत्तर अंकित न करने के फलस्वरूप शून्य (Zero) अंक प्रदाय किया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।

1-15 =fVi wkl iz u] it uk@ dk fuj Lrhdj.k ,oa cnys ei inkf fd; s tkus okys vd %

परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा विषय विशेषज्ञों से प्रश्नपत्र के प्रत्येक प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है। विषय विशेषज्ञों द्वारा किसी प्रश्न को त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर उस प्रश्न को निरस्त कर दिया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते हैं :—

1. प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर का हो।
2. प्रश्न की संरचना गलत हो।
3. उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हों।
4. कोई भी विकल्प सही न हो।
5. यदि प्रश्न—पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न—भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त न होता हो।
6. कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो।
7. अन्य कोई कारण, जिसे विषय विशेषज्ञ द्वारा उचित समझा जाये।

प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न—पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में मण्डल अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

उदाहरण स्वरूप यदि किसी 200 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 198 प्रश्नों में 90 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी, जिसमें पूर्णांक में परिवर्तन के लिये 0.5 या उससे अधिक अंकों को एक तथा 0.5 से कम अंकों को शून्य गिना जावेगा।

$$\frac{90 \times 200}{(200 - 2)} = 90.91 \text{ rounded off to } 91.00$$

नोट :— सभी गणना को दो दशमलव तक राउंडऑफ किया जायेगा।

1-16 i t u&i fLrdk ds i t uks@mRrjk ds | cdk ei vH; konu %

प्रश्न—पुस्तिका में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियाँ निर्धारित प्रोफार्म $i k: i &01 \frac{1}{2} i t u i fLrdk ds i t uks@mRrjk ds | cdk ei vH; konu \frac{1}{2}$ में आवश्यक अभिलेख सहित परीक्षा आयोजन की तिथि के उपरांत एक सप्ताह के भीतर मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है।

1-17 ekWY vkd | l ds | cdk ei vH; konu@Qk; uy vkd | l %

- (1) ekWY vkd | l % परीक्षा के सफल आयोजन के 01 दिन उपरांत प्रश्न पत्र में पूछे गये प्रश्नों के उत्तर मॉडल उत्तर (Model Answers) के रूप में मंडल की वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जायेगा। मॉडल आंसर में किसी भी प्रकार के त्रुटिपूर्ण उत्तरों के संबंध में परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियाँ निर्धारित प्रारूप—02 $\frac{1}{2} ekWY mRrjk ds | cdk ei vH; konu \frac{1}{2}$ में आवश्यक अभिलेख सहित परीक्षा उपरांत मॉडल आंसर्स मंडल की वेबसाईट पर अपलोड करने की तिथि से 01 सप्ताह के भीतर मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकेगी।
- (2) Qk; uy vkd | l % प्रारूप 01 में प्रश्न पुस्तिका के त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों तथा प्रारूप 02 में मंडल द्वारा प्रदर्शित माडल उत्तरों के संबंध में

प्राप्त अभ्यावेदनों को “की” समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा। “की” समिति द्वारा सभी अभ्यावेदनों से संबंधित प्रश्नों/उत्तरों के पूर्ण परीक्षण उपरांत निराकृत करने के पश्चात् फायनल आंसर्स (Final Answers) तैयार किये जायेगे, इस प्रक्रिया में बिन्दु क्रमांक 1.15 अनुसार “की” समिति द्वारा प्रश्नों को निरस्त भी किया जा सकेगा। समिति द्वारा उन प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में कोई विचार नहीं किया जायेगा जिन पर अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुए हैं। इस प्रकार तैयार फायनल आंसर्स (Final Answers) के आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार किया जायेगा। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये फायनल आंसर्स (Final Answers) परिणाम उपरांत मण्डल की वेबसाईट पर उपलब्ध रहेंगे। “की” समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा सभी आवेदकों के लिये बंधनकारी होगा।

1-18 i j h{kk i f j . kke dk i d k'ku %&

अध्याय—1 से 2 में उल्लेखित नियमों के आधार पर मण्डल द्वारा अभ्यर्थियों की प्रावीण्य/प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी। परीक्षा परिणाम मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध होगा। परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरान्त मण्डल की वेबसाईट पर परीक्षा परिणाम के साथ—साथ आदर्श उत्तर (Model Answers) अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये उपलब्ध होंगे।

1-19 v d l p h d h m i y C / k r k %

परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत सभी अभ्यर्थियों की अंकसूची मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध होगी। अभ्यर्थी अपने रोल नंबर के आधार पर उल्लेखित वेबसाईट से अंकसूची प्राप्त/मुद्रित कर सकते हैं। मण्डल द्वारा डाक से अंकसूची का प्रेषण नहीं किया जायेगा तथा डुप्लीकेट अंकसूची प्रदाय करने का प्रावधान नहीं है।

1-20 f y f [k r i j h { k k e s fu % k D r t u v H ; f f k z k s d s f y , m i y C / k l f o / k k , W % &

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. एफ—8—2/05/आ.प्र./एक, दिनांक 08.09.2011 के आधार पर लिखित परीक्षा में निःशक्तजन के लिए निम्नानुसार सुविधाएँ प्रदान की जायेगी:-

1/1 ; g l f o / k k f u E u f y f [k r v H ; f f k z k s d s i n k u d h t k o s h %&

1. ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो, इस आशय का प्रमाण—पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन रैंक से कम का न हो।
2. दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो और इस आशय का प्रमाण—पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन से कम रैंक का न हो।
3. दृष्टिबाधित, मानसिक रूप से संस्तभ एवं विकलांग अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं दिया जावेगा।

1/1 i n k u d h t k u s o k y h l f o / k k , W % &

उपरोक्त से संबंधित अभ्यर्थियों को लेखन लिपिक की सुविधा प्रदान की जावेगी। यदि अभ्यर्थी लेखन लिपिक की सुविधा प्राप्त नहीं करता है, तो उसे निम्नानुसार अतिरिक्त समय की पात्रता होगी :-

- 3 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए 60 मिनट
- 2½ घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए 50 मिनट
- 2 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए 40 मिनट
- 1½ घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए 30 मिनट

॥ ॥ y[ku fyfi d dh fu; fDr g[q 'kr[%

1. लेखन लिपिक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए, जो परीक्षार्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा से एक निचली कक्षा का होना चाहिए।
2. लेखन लिपिक से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी शपथ—पत्र सहित संबंधित परीक्षा केन्द्र के केन्द्र अधीक्षक को अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाकर परीक्षा दिनांक से एक दिवस पूर्व लिखित अनुमति प्रदान किया जाना अनिवार्य होगी।

॥॥ bl ds vfrfjDr ink; dh tkus okyhi I fo/kk, W %

1. परीक्षार्थी को लेखन लिपिक की सेवाएँ मुफ्त प्रदान की जावेगी, जिसके लिए मण्डल द्वारा कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जावेगा।
2. ऐसे परीक्षार्थी, जिन्हें लेखन सहायक सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, उन्हें एक अलग कक्ष यथासंभव भूतल पर उपयुक्त व्यवस्था की जावेगी।

1-21 e. My dk {ks=kf/kdkj %&

म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मंडल का कार्य प्रवेश परीक्षा का संचालन एवं उसका परिणाम घोषित करना मात्र होगा। परीक्षा संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार मण्डल का होगा। मण्डल अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं मण्डल द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन बंधनकारी होगा।

1-22 vf[ky[kk] dk I /kkj.k %&

मण्डल द्वारा परीक्षा आयोजन उपरांत अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम घोषित होने की दिनांक से छः माह तक परीक्षा से संबंधित अभिलेखों का संधारण किया जायेगा। इसके पश्चात् परीक्षा से संबंधित समस्त अभिलेखों/दस्तावेजों को रद्दी घोषित व नष्ट कर दिए जायेंगे।

1-23 U; kf; d {ks=kf/kdkj %&

परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी किसी भी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकारी (Jurisdiction) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित रहेगा।

v/; k; &
e/; i n'sk i 'kqfpfdRI k foKku fo' ofo | ky;] tcyijj ɻe-i zh

Ik' kq kyu fMlykek i d'sk fofu; e 2013

विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 (क्रमांक 16 सन् 2009) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर द्वारा प्रदेश के 05 पशुपालन महाविद्यालयों/प्रशिक्षण संस्थानों में द्विवर्षीय पशुपालन पत्रोपाधि पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु नियम

1. I f{klr uke %&

इन विनियमों का संक्षिप्त नाम पशुपालन पत्रोपाधि पाठ्यक्रम प्रवेश नियम 2013 है।

2 i fj Hkk"kk, %%&

इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

2.1 “अधिनियम” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम (क्रमांक 16 सन् 2009);

2.2 “प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति” से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय की शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश प्रक्रिया के पर्यवेक्षण तथा मार्गदर्शन के लिए तथा प्रवेश के इच्छुक अभ्यार्थियों से प्रभारित की जाने वाली फीस के निर्धारण के लिए मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा गठित विद्या परिषद;

2.3 “उपाबंध” से अभिप्रेत है इन विनियमों से संलग्न उपाबंध;

2.4 “सामान्य प्रवेश परीक्षा” से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अभिकरण द्वारा एकल खिडकी प्रणाली के माध्यम से पशु पालन पत्रोपाधि प्रशिक्षण संस्थानों में गुणानुक्रम आधारित प्रवेश के प्रयोजन के लिए केन्द्रीकृत परामर्श द्वारा अनुसरित अभ्यार्थियों के गुणानुक्रम के लिए संचालित कोई प्रवेश परीक्षा;

2.5 “सक्षम प्राधिकारी” से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी;

2.6 “फीस” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में उल्लेखित प्रावधानों के अधीन गठित विनियामक समिति द्वारा निर्धारित फीस;

2.7 “संस्था प्रमुख” से अभिप्रेत है, जो महाविद्यालय/प्रशिक्षण संस्थान का प्रमुख;

2.8 “अर्हकारी परीक्षा” से अभिप्रेत है, उस न्यूनतम अर्हता की परीक्षा जिसको उत्तीर्ण करने पर कोई अभ्यार्थी इन विनियमों में यथाविहित सुसंगत पत्रोपाधि (डिप्लोमा) पाठ्यक्रम में प्रवेश चाहने हेतु हकदार होता है;

2.9 “एकल खिडकी प्रणाली” से अभिप्रेत है, ऐसी प्रणाली, जिसके द्वारा सभी संस्थाओं में उपलब्ध स्थान, सामान्य केन्द्रीकृत परामर्श (काउन्सिलिंग) के माध्यम से सामान्य प्रवेश परीक्षा के गुणागुण के क्रम में अर्ह अभ्यार्थियों को प्रस्थापित किए जाते हैं;

2.10 “व्यापम” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल, मध्यप्रदेश, भोपाल।

2.11 उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का, जो इन विनियमों में प्रयुक्त की गई हैं, किन्तु परिभाषित नहीं की गई हैं, वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उनके लिए दिया गया है।

3. ykxw gkuk%&

ये नियम मध्यप्रदेश पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर द्वारा संचालित पशुपालन पत्रोपाधि पाठ्यक्रम हेतु अधिसूचित महाविद्यालयों/प्रशिक्षण संस्थानों को लागू होंगे।

4. i d'sk fu; e%&

वर्ष 2012–13 से एवं आगे के लिए प्रवेश नियम—

समस्त पशुपालन पत्रोपाधि प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:—

4.1 विभिन्न पत्रोपाधि प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु संभावित संस्थावार स्थानों की संख्या निम्नानुसार होगी (तालिका 1):-

तालिका -1

स.क्र	संस्था का नाम	स्थानों की संख्या
1	पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, जबलपुर	61
2	पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, महू	61
3	पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, रीवा	60
4	कृत्रिम गर्भधान प्रशिक्षण संस्थान, भोपाल	59
5	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, प्रशिक्षण संस्थान, मुरैना	59
	dy ; kx	300

4.2 स्थानों का आवंटन/आरक्षण— प्रत्येक संस्था में कुल उपलब्ध स्थानों में से 16 प्रतिशत, 20 प्रतिशत एवं 14 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (अन्य पिछड़ा वर्ग की प्रवर्गों के क्रीमीलेयर को छोड़कर) के लिये जैसा कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जायेगा क्रमशः आरक्षित रखे जायेंगे। महिला अभ्यार्थियों के लिये 30 प्रतिशत होरिजोन्टल आरक्षण रहेगा। यदि किसी श्रेणी में निर्धारित मापदण्ड के आधार पर 30 प्रतिशत महिलायें न मिले तो उनके रिक्त स्थानों की पूर्ति उसी श्रेणी के पुरुषों से की जावेगी। विभिन्न आरक्षित श्रेणियों में प्रवेश हेतु दावा किया जा रहा हो तो उम्मीदवार को उससे संबंधित प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में परामर्श के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा (तालिका 2)।

तालिका - 2
संस्थावार आरक्षण

स.क्र.	संस्था का नाम	सामान्य	एस.सी.	एस.टी.	ओ.बी.सी.
1	पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, जबलपुर	30	10	12	9
2	पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, महू	30	10	12	9
3	पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, रीवा	30	10	12	8
4	कृत्रिम गर्भधान प्रशिक्षण संस्थान, भोपाल	30	09	12	8
5	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, प्रशिक्षण संस्थान, मुरैना	30	09	12	8
	dy ; kx	150	48	60	42

विभिन्न श्रेणियों की 20 प्रतिशत सीटों में प्रवेश भुगतान फीस (ऐमेन्ट सीट) द्वारा किया जायेगा।

4-3 vkjffkr LFkkuk dk i fforu

आरक्षित स्थानों हेतु उपयुक्त उम्मीदवार न उपलब्ध होने की स्थिति में रिक्त स्थानों की पूर्ति दूसरे संवर्ग से निम्नानुसार निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जा सकेगी—

- 4.3.1 अनुसूचित जन जाति संवर्ग का योग्य उम्मीदवार न मिलने की स्थिति में आरक्षित स्थान के रिक्त स्थान की पूर्ति अनुसूचित जाति के उम्मीदवार से की जावेगी।
- 4.3.2 अनुसूचित जाति संवर्ग का योग्य उम्मीदवार न मिलने की स्थिति में रिक्त स्थान की पूर्ति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार से की जा सकेगी।
- 4.3.3 अनुसूचित जन जाति एवं अनुसूचित जाति के आरक्षित स्थानों हेतु उपयुक्त उम्मीदवार न मिलने की स्थिति में रिक्त स्थानों की पूर्ति अन्य पिछड़ा वर्ग के उपयुक्त उम्मीदवारों से की जा सकेगी।
- 4.3.4 उपरोक्तांकित तीनों आरक्षित संवर्ग के उपयुक्त उम्मीदवार न मिलने की स्थिति में रिक्त स्थानों को अनारक्षित संवर्ग में परिवर्तित करते हुए अनारक्षित संवर्ग के उपयुक्त उम्मीदवारों से पूर्ति की जा सकेगी।
- 4.3.5 पशुपालन पत्रोपाधि पाठ्यक्रम हेतु निःशक्तजन अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे।

4-4 i dɔ'k ds fy, i k=rk &
मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिश्चित किए गए
अनुसार।

4-4-1 'kʃɪkf.kd vglrk%&

माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल की हायर सेकण्ड्री 10+2 प्रणाली विज्ञान विषय (जीव
विज्ञान / गणित / कृषि) की 12वीं परीक्षा या समकक्ष अथवा किसी मान्यता प्राप्त अन्य बोर्ड से
न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होनी चाहिये। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति
के छात्रों को 5 प्रतिशत अंकों की शिथिलता दी जायेगी।

4-4-2 i dɔ'k gr̩q vkl; q l helk%&

अभ्यार्थी की आयु सीमा परीक्षा के वर्ष 31 दिसम्बर की स्थिति में न्यूनतम आयु 17 वर्ष एवं
अधिकतम आयु 28 वर्ष होना अनिवार्य है। महिला, अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य
पिछड़ा वर्ग के अभ्यार्थियों हेतु उच्चतर आयु सीमा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विहित
की गई अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी।

4-4-3 i t u i = dɔ fo"k; %&

प्रश्न पत्र के अंतर्गत 40 प्रश्न भौतिक शास्त्र, 40 प्रश्न रसायन शास्त्र व 20 प्रश्न सामान्य
ज्ञान के होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। भौतिक शास्त्र व रसायन शास्त्र के परीक्षा
के पाठ्यक्रम का विवरण संलग्नानुसार (अध्याय -4) होगा।

4-5 i dɔ'k dh jhfr %&

मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल भोपाल के
माध्यम से प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगा तथा व्यावसायिक परीक्षा मंडल उक्त परीक्षा में
अभ्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर गुणागुण/प्रतीक्षा सूची तैयार कर विश्वविद्यालय को
उपलब्ध करायेगा।

4-6 i dɔ'k dh ifθ; k %&

4-6-1 समस्त पशुपालन पत्रोपाधि महाविद्यालयों/प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा
विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा व्यापम के माध्यम से संचालित सामान्य प्रवेश परीक्षा में क्रम स्थापना
(रैंकिंग) के आधार पर योग्यता क्रम में एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से दिया जाएगा।

4-6-2 ऐसे समस्त प्रवेश, सक्षम प्राधिकारी द्वारा संचालित केन्द्रीकृत परामर्श (काउन्सलिंग) के माध्यम से
दिए जाएंगे, सक्षम अधिकारी द्वारा 5 सदस्यों की समिति निम्नुसार बनाई जायेगी।

1. अधिष्ठाता संकाय, म.प्र. पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर — अध्यक्ष
2. परीक्षा नियंत्रक, म.प्र. पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर — सदस्य
3. शिक्षण निर्देशक, म.प्र. पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर — सदस्य
4. अधिष्ठाता, पशुचिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, जबलपुर — सदस्य सचिव
5. अधिष्ठाता छात्र कल्याण, पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर — सदस्य

4-6-3 संस्था का प्रबंधन अधिसूचना/विज्ञापन जारी नहीं करेगा और प्रवेश के लिए पृथक रूप से या
व्यक्तिशः आवेदन नहीं मंगाएगा। तत्संबंध में विश्वविद्यालय विहित प्रक्रिया के अधीन कार्यवाही
करेगा।

4-6-4 यदि कोई अभ्यार्थी परामर्श (काउन्सलिंग) हेतु स्वयं उपस्थित होने में असफल रहता है या विहित
प्रारूप में सुसंगत मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो वह स्थान तथा संस्था में
चयन का अपना दावा खो देगा/ देगी। तथापि, यदि वह पश्चात्वर्ती प्रक्रम पर दस्तावेज पेश
कर देता है, तो उसे परामर्श (काउन्सलिंग) के लिए विचारण में लिया जा सकेगा, ऐसी दशा में,
वह उस समय उपलब्ध स्थान तथा संस्था के चयन का हकदार होगा/होगी। यदि कोई अभ्यार्थी
परामर्श (काउन्सलिंग) के अंतिम दिन को भी उपस्थित नहीं होता है, तो यह समझा जाएगा कि
वह प्रवेश लेने में इच्छुक नहीं है तथा प्रवेश का अधिकार समर्पित हो जाएगा।

- 4-6-5 यदि कोई अभ्यार्थी गंभीर बीमारी या दुर्घटना के कारण परामर्श (काउन्सलिंग) की तारीख पर स्वयं उपस्थित होने में असफल रहता है तथा वह चिकित्सालय में भर्ती है, तो उसके संरक्षक/अभिभावक को उसकी ओर से परामर्श (काउन्सलिंग) में उपस्थित होने हेतु अनुज्ञा दी जा सकेगी, बशर्ते कि संबंधित अभ्यार्थी बीमारी तथा चिकित्सालय में भर्ती होने के सबूत के रूप में संबंधित सी.एम.ओ./सिविल सर्जन द्वारा जारी किए चिकित्सा प्रमाणपत्र के साथ इस आशय का प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करें। यदि बाद में यह पाया गया कि अभ्यार्थी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी गलत थी, तो प्रवेश रद्द किए जाने योग्य होगा।
- 4-6-6 कोई अभ्यार्थी परामर्श (काउन्सलिंग) के दिन किसी संस्था में एक बार प्रवेश ले लेता है, तो उसे परामर्श (काउन्सलिंग) के उसी चरण में परिवर्तन किए जाने हेतु अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।
- 4-6-7 यदि परामर्श (काउन्सलिंग) के माध्यम से किसी विशिष्ट संस्था में अभ्यार्थी ने एक बार प्रवेश लिया है, तो संस्था के अंतरण हेतु अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।
- 4-6-8 यदि परामर्श (काउन्सलिंग) का पश्चात्वर्ती चक्र होता है, तो प्रथम चक्र के दौरान छूट गए अभ्यार्थियों को बुलाया जाएगा तथा रिक्त स्थान होने पर गुणागुण और प्राथमिकता के आधार पर संस्था आबंटित की जाएगी।
- 4-6-9 सफल अभ्यार्थियों को परामर्श (काउन्सलिंग) के समय विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित फीस जमा करना होगी। फीस, परामर्श (काउन्सलिंग) अभिकरण में जमा की जाएगी।

4-7 i d's k dk j nñ fd; k t k u k %&

- 4.7.1 यदि किसी प्रक्रम पर यह पाया जाए कि अभ्यार्थी ने किसी संस्था में, मिथ्या या गलत जानकारी के आधार पर या सुसंगत तथ्यों को छिपाकर प्रवेश प्राप्त किया है या यदि प्रवेश के पश्चात् किसी भी समय यह पाया जाए कि अभ्यार्थी को किसी भूल या अनदेखी के कारण प्रवेश दिया गया था, तो ऐसे अभ्यार्थी को दिया गया प्रवेश उसके अध्ययन के दौरान किसी भी समय किसी पूर्व सूचना के बिना सक्षम प्राधिकारी द्वारा तत्काल रद्द किए जाने के दायित्वाधीन होगा।
- 4.7.2 परामर्श (काउन्सलिंग) के उपरान्त योग्य अभ्यार्थियों को पशुपालन डिप्लोमा में प्रवेश हेतु आवश्यक फीस जमा करनी होगी। जमा की गई फीस किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं होगी।
5. f' k{.k. rFkk vU; QhI %&शिक्षण तथा अन्य फीस का निर्धारण विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् द्वारा किया जायेगा।
- 6- fu; ek@i fØ; kvkø dk mi krj . k%& मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय किसी भी उपबंध/नियम/प्रक्रिया को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- 7- vf/kdkfj rk %& किसी भी विवाद के मामले में अधिकारिता केवल मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर तक ही सीमित रहेगा।

.....

**MADHYA PRADESH PASHU CHIKITSA VIGYAN VISHWAVIDYALAYA,
JABALPUR**

ANIMAL HUSBANDRY DIPLOMA ADMISSION REGULATIONS, 2013

In exercise of the powers conferred by the Madhya Pradesh Pashu Chikitsa Vigyan Vishwavidyalaya Act, 2009 (No. 16 of 2009), Madhya Pradesh Pashu Chikitsa Vigyan Vishwavidyalaya hereby makes the following Rules relating to eligibility of admission in two year's Animal Husbandry Diploma course in 05 Animal Husbandry colleges/training institutes of the State:

1. Short title:-

These Regulations may be called as Animal Husbandry Diploma Course Admission Rules, 2013.

2. Definitions:-

In these Rules, unless the context otherwise requires--

- 2.1 "Act" means the Madhya Pradesh Pashu Chikitsa Vigyan Vishwavidyalaya Adhiniyam, 2009 (No. 16 of 2009);
- 2.2 "Admissions and Fee Regulatory Committee" means the Academic Council constituted by the Vishwavidyalaya under the Act for the supervision and guidance of admission process and for the fixation of fee to be charged from candidates seeking admission in training institutes of university;
- 2.3 "Annexure" means Annexure appended to these rules;
- 2.4 "Common Entrance Test" means an entrance test, conducted for determination of merit of the candidates followed by centralized counseling for the purpose of merit based on admission to training institutes of the university through a single window procedure by the Vishwavidyalaya;
- 2.5 "Competent Authority" means any authority as authorized by the Vishwavidyalaya in this behalf;
- 2.6 "Fee" means, constitution of Fees Regulation Committee as per provisions of Madhya Pradesh Pashu Chikitsa Vigyan Vishwavidyalaya, Act 2009;
- 2.7 "Institutional" head means Head of the institution of college/training institute;
- 2.8 "Qualifying Examination" means the examination of the minimum qualification, passing of which entitles one to seek admission into the relevant diploma course as prescribed in these rules;
- 2.9 "Single Window System" means a system by which available seats in all the institutions are offered through Common Centralized Counseling to qualified candidates in the order of merit in the Common Entrance Test;
- 2.10 "Vyapam" means Madhya Pradesh Vyavasayik Pariksha Mandal, Madhya Pradesh Bhopal;

2.11 The words and expressions used but not defined in these rules shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

3. Applicability:-

These rules shall be applicable to notified colleges/institutes of Madhya Pradesh Pashu Chikitsa Vigyan Vishwavidyalaya which are conducting Animal Husbandry Diploma course.

4. Admission Rules:-

Admission rules for year 2012-13 and onwards--

In all veterinary training institutions the procedure for admission for admission shall be as under:-

4.1 Availability of Seats:-

Number of seats available in various diploma training institutions shall be as follows

(Table 1):-

Table-1

S.No	Name of Institution	Number of Seats
1.	College of Veterinary Science and Animal Husbandry, Jabalpur	61
2.	College of Veterinary Science and Animal Husbandry, Mhow	61
3.	College of Veterinary Science and Animal Husbandry, Rewa	60
4.	A.I. Training Institute, Bhopal	59
5.	Assistant Veterinary Field officer Training Center, Morena	59
Grand total		300

4.2 Allocation/Reservation of seats:-

In every college/training institutions 16%, 20% and 14% seats of total seats shall be reserved for the candidates belonging to scheduled casts/scheduled tribes and other backward classes (excluding creamy layer of other backward classes category) respectively as notified by the State Government in this regard (Table 2). In each category, 30% seats will be reserved for female candidates horizontally, If, in any category women candidates seats remained unfilled, then seats lying vacant will be filled by male candidates of the same category.

Table-2

Institution wise reservation

S.No	Name of Institution	Gen.	SC	ST	OBC
1.	College of Vety. Sci. and A. H., Jabalpur	30	10	12	9
2.	College of Vety. Sci. and A. H., Mhow	30	10	12	9
3.	College of Vety. Sci. and A. H., Rewa	30	10	12	8
4.	A.I. Training Institute, Bhopal	30	09	12	8
5.	Assistant Veterinary Field officer Training Center, Morena	30	09	12	8
Grand Total		150	48	60	42
In different categories, 20% seats will be filled up through payment fees					

4.3 Conversion of seats

In case, the eligible candidates to the extent of reservations in any category are not available, the vacant seats will be filled by making them available in other categories as given below :-

- 4.3.1 The vacant seats of ST category shall be filled up by the eligible SC category candidates.
- 4.3.2 The vacant seats of SC category shall be filled up by eligible ST category candidates.
- 4.3.3 In case, the eligible candidates to the extent of reservation in ST and SC categories are not available, the vacant seats shall be filled up by eligible OBC category candidate.
- 4.3.4 In case, the eligible candidates are not available in these above three reserved categories in the above manner, the vacant seats shall then be filled up by the eligible unreserved category candidates.
- 4.3.5 Disabled persons are not eligible for Animal Husbandry Diploma Course

4.4 Eligibility for admission:-

As decided by the Competent Authority of Madhya Pradesh Pashu Chikitsa Vigyan Vishwavidyalaya

4.4.1 Educational Qualification:-

Must have passed 12th higher secondary examination under 10+2 with science subject (Zoology/Mathematics/Agriculture) from Madhyamik Shiksha Mandal Madhya Pradesh, Bhopal or equivalent or other recognized board with minimum 50% marks. Relaxation of 5% marks will be given to the candidates of SC/ST.

4.4.2 Age limit for admission:-

As on 31st December candidate must have attain the age of 17 years but not more than 28 years. The upper age limit shall be relaxable up to maximum limit of 5 years as prescribed by Government from time to time. If a candidate happens to be a woman, Scheduled caste, scheduled tribe and other backward classes.

4.4.3 Subjects of question paper:- The question paper will consist of 40 questions of Physics, 40 questions of Chemistry & 20 questions of General Knowledge. Each question will carry 1 mark. The syllabus for the Physics & Chemistry will be as per enclosed course outline (Chapter-IV)

4.5 Manner of Admission:-

Common Entrance Test conducted by Madhya Pradesh Pashu Chikitsa Vigyan Vishwavidyalaya through Madhya Pradesh Vyavasayik Pariksha Mandal. Madhya Pradesh Vyavasayik Pariksha Mandal shall prepare merit and waiting list on the basis of

marks obtained by candidates in Common Entrance Test and shall provide to Vishwavidyalaya.

4.6 Procedure of Admission:-

- 4.6.1 The admission into all Animal Husbandry Diploma training college/institutions shall be made through single window system in the order of merit on the basis of ranking in Common Entrance Test conducted by the Madhya Pradesh Vyavasayik Pariksha Mandal, Bhopal.
- 4.6.2 All these admission shall be done through centralized counselling conducted by the Vishwavidyalaya. Five members committee as follows will be constituted by the competent authority.

1.	Dean, Faculty of Vety. Sci. & A.H., Madhya Pradesh Pashu Chikitsa Vigyan Vishwavidyalaya, Jabalpur	-	Chairman
2.	Comptroller Examination, Madhya Pradesh Pashu Chikitsa Vigyan Vishwavidyalaya, Jabalpur	-	Member
3.	Director Instructions, Madhya Pradesh Pashu Chikitsa Vigyan Vishwavidyalaya, Jabalpur	-	Member
4.	Dean, College of Vety. Sci. & A.H., Jabalpur	-	Member Secretary
5.	Dean, Student Welfare, Madhya Pradesh Pashu Chikitsa Vigyan Vishwavidyalaya, Jabalpur	-	Member

- 4.6.3. Management of training Institute shall not issue notification/ advertisement and call for application for admission separately or individually. University shall complete all formalities of concerning subject as per norms.
- 4.6.4. If a candidate fails to present himself/herself for Counselling or fails to produce the relevant certificates in original in prescribed proforma, he/she shall loose his/her chance of selection of Seat and Institution. However, if he/she produces documents at a later stage, the same may be considered for Counselling in that event, he/she shall be entitled to, select the seat and institution available at that point of time. If a candidate does not turn up even on the last day of Counselling, it shall be deemed that he/she is not interested in taking admission and shall forfeit the right of admission.
- 4.6.5. If a candidate fails to present himself/herself on the date of Counselling because of serious illness or accident and is admitted in the hospital, then his/her guardian/parents may be permitted to appear in the Counselling on his/her behalf, provided the concerned candidate submits an authority letter to this effect along with a medical certificate issued by the concerned Chief Medical Officer/Civil Surgeon as a proof of illness or hospitalization. If at any stage it is found that the information provided by the candidate was wrong, then the admission is liable to be cancelled.
- 4.6.6. Once a candidate has taken admission in an institution during the process of Counselling he shall not be permitted to change it in that phase of counselling.

- 4.6.7. Once a candidate is admitted in a particular institution through Counselling, no transfer of institution shall be permitted.
- 4.6.8. If there is subsequent round of counselling, the candidates left over during first round shall be called and shall be allotted to Institutions having vacant seats on the basis of merits and priority.
- 4.6.9. The successful candidates shall have to deposit fees as prescribed by the Vishwavidyalaya at the time of counselling. The fees once deposited will not be refunded at any cost.

4.7 Cancellation of Admission: -

- 4.7.1 If at any stage it is found that a candidate has got admission in any institution on the basis of false or incorrect information or by hiding relevant facts or if at any time after admission it is found the admission was given to the candidate due to some mistake or oversight, the admission granted to such a candidate shall be liable to be cancelled forthwith without any notice at any time during the course of his/her studies by the Competent Authority.
- 4.7.2 The candidates found eligible after counselling will deposit required fees for taking admission. Fees once deposit will not be refunded back at any cost.

5. Tuition and other Fees:-

Tuition and other fees shall be as prescribed by the Academic Council of the Vishwavidyalaya.

6. Modification to rules/procedures:-

The Madhya Pradesh Pashu Chikitsa Vigyan Vishwavidyalaya reserves the rights to amend/provision/rules/procedure for admission.

7. Jurisdiction: -

In case of any dispute, the jurisdiction shall be restricted to the Hon'ble High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur only.

vʃ; kʒ; &ʒ

i k: i

i t: i &01

(देखें नियम 1.16)

i t u&i fLrdk ds i t uks@mRrjk ds l cdk e s vH; konu
 /ukV& ; g i i = dby i jh{kFkh }kj k gh Hkj dj fu/kkfj r l e; kof/k rd
 e.My dk; kly; e s mi yC/k djkus i j fopkj {ks e s fy; k tk, xk h

परीक्षा का नाम	
अभ्यार्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यार्थी का नाम	
अभ्यार्थी का परीक्षा केन्द्र	
अभ्यार्थी का सेट क्रमांक	

उपरोक्त परीक्षा के प्रश्न-पत्र में निम्नलिखित प्रश्न/उत्तर उल्लेखित कारणों से त्रुटिपूर्ण है :-

I 000	i t u Øekd@ =fV dk fooj .k mRrj Øekd	I k{; ds : i e s i Lrqr nLrkost dk fooj .k	I yxud Øekd

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है। कृपया उक्त प्रश्नों के त्रुटि का निराकरण करने का कष्ट करें।

आवेदक के हस्ताक्षर.....
 आवेदक का नाम.....

स्थान
 दिनांक

i k: i & 02

(देखें नियम 1.17)

vkn'k^l mRrjk^a i j vki fRr grq vH; konu
 /ukV& ; g i i = d^oy i j h{kFkhZ }kj k gh Hkj dj fu/kkfj r l e; kof/k rd e. My
 dk; kly; e^u mi yC/k djkus i j fopkj {ks= e^u fy; k tk, xk ½

परीक्षा का नाम	
अभ्यार्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यार्थी का नाम	
अभ्यार्थी का परीक्षा केन्द्र	
अभ्यार्थी का सेट क्रमांक	

मंडल की वेबसाईट पर प्रदर्शित सेट क्रमांक के आदर्श उत्तर में निम्नलिखित उत्तर त्रुटिपूर्ण है :—

I -Ø-	mRrj Øekd	vkn'k ^l d ^o th es vH; kfkhZ ds vuq kj mRrj	mRrj ds l eFkU l yXud Øe iLrr nLrkost fooj.k

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है।

आवेदक के हस्ताक्षर.....

दिनांक

v/; k; & 4

i kB ÷ Øe

Syllabus For Animal Husbandary Diploma Entrance Test - 2013

(A) Physics

Unit and dimensions, dimensional analysis, S.I. Units, Motion in two dimensions Cases of uniform velocity and uniform acceleration, General relation between position and velocity, Uniform circular motion, Force and inertia. Newton's Laws of motion. Conservation of momentum and energy. Static and kinetic friction. Work energy and power collisions, potential energy, gravitational potential energy and its angular conversion to kinetic energy. Potential energy of a spring, Rigid body rotation and conservation of its momentum. Moment of inertia, theorems of parallel and perpendicular axis. (Moment of inertia of uniform ring, disc, thin rod and cylinder only). Acceleration due to gravity and its variation, Universal law of gravitation, geostationary satellites, escape velocity. Hooke's law, Young's modulus, shear and bulk modulus, surface energy and surface tension, kinetic theory of gases, gas laws, kinetic energy and temperature. Specific heats at constant volume and constant pressure. mechanical equivalent of heat, isothermal and adiabatic processes.

Heat conduction in one dimension, convection and radiation, Stefan's Law and Newton's law of cooling Periodic motion, Simple harmonic motion, Oscillations due to spring, Wave motion principle of superposition; Progressive and stationary waves, Beats and Doppler effect. Wave nature of light, Interference, Young's double slit experiment, Velocity of light and Doppler's effect in light. Reflection, refraction, total internal reflection, curved mirrors, Lenses, mirror and lens formulae. Dispersion in prism, absorption and emission spectra.

The human eye, defects of vision, magnification and resolving power of telescope and microscope "e" and "e/m" for an electron, Einstein's photoelectric equation, photocells.

Bohr model of the atom, Hydrogen spectrum, Composition of nucleus, atomic masses and isotopes, radioactivity, laws of radio active decay, decay constant, half life and mean life, Mass-energy relation, fission. X-Ray: Properties and uses.

Elementary ideas of conductor, semi-conductor and insulator, intrinsic and extrinsic semiconductors, np Junction as a rectifier. Bar magnet, lines of force, torque on a bar magnet due to magnetic field, earth's magnetic field, tangent galvanometer, vibration magnetometer. Coulomb's law of electrostatic, dielectric constant, electric field and potential due to a point charge, dipole, dipole field, Gauss's law in a simple geometrics.

Electrostatic potential, capacitance, parallel plate and spherical capacitors capacitors in series and parallel, energy of a capacitor. Electric current, Ohm's law, Kirchhoff's laws, resistances in series and parallel temperature dependence of resistance. Wheatstone bridge, potentiometer. Measurement of voltages and currents.

Electric power, heating effects of currents, chemical effects and law of electrolysis, thermoelectricity. Biot Savart law. Magnetic fields due to a straight wire circular loop and solenoid.

Force on a moving charge in a magnetic field (Lorentz force), Magnetic moment of a current loop, effect of a uniform magnetic field of a current loop, forces between two currents, moving coil, galvanometer, ammeter and voltmeter.

Electromagnetic induction induced emf, Faraday's law, Lenz's law, self and mutual inductance alternating currents, impedance and reactance growth and decay of current in L-R circuit, elementary idea of dynamo and transformer.

(B) Chemistry

General and Physical Chemistry

Structure of Atom : Constitution of nucleus : Bohr's atom model : quantum numbers Aufbau principle, electronic configuration of elements (upto-Kr) : de-Broglie relation, shapes of orbitals.

Chemical Bond : Electrovalent, covalent and coordinate bonds, hybridization (sp) : hydrogen bond: shapes of molecules (VSEPR theory) : bond polarity, resonance, Elements of VBT MOT.

Solutions: Modes of expressing concentrations of solutions: Types of solutions, Raoult's law of colligative properties, non-ideal solution, abnormal molecular weights.

Solid State: Crystal lattices, unit cells, Structure of ionic compounds: close packed structure ionic radii, imperfections (Point defects): Properties of solids.

Nuclear Chemistry: Radio active radiations: half-life, radioactive decay, group displacement structure and properties of nucleus: Nuclear reaction, disintegration series, artificial transmutation: isotopes and their uses, Radio carbon dating.

Chemical Equilibrium: Chemical equilibrium, Law of mass action: KP and KC: Le Chatelier principle and its application.

Ionic Equilibria in solutions, Solubility product, common ion effect, theories of acids and base hydrolysis of salts: pH : buffers.

Thermochemistry and Thermodynamics: Energy changes during a chemical reaction: intrinsic energy enthalpy, first law of thermodynamics: Hess's law, Heats of reactions: Second law of

thermodynamics: entropy: free energy; spontaneity of a chemical reaction; free energy change and chemical equilibrium; free energy as energy available for useful work.

Chemical kinetics, Rate of a reaction, factors affecting the rate, rate constant, rate expression, order of reaction, first order rate constant expression and characteristics, Arrhenius equation.

Electrochemistry: Oxidation, Oxidation number and ion-electron methods. Electrolytic conduction. Faraday's laws; voltaic cell, electrode potentials, electromotive force, Gibb's energy and cell potentials. Nernst equation, commercial cells, fuel cell, electrochemical theory of corrosion.

Surface chemistry, Colloids and Catalysis; Adsorption, Colloids (types preparation and properties), Emulsions, Micelles, Catalysis: Types and characteristics.

Inorganic Chemistry :

Principles of metallurgical-operations : Furnaces, ore concentration, extraction, purification metallurgies of Na, Al, Fe, Cu, Ag, Zn and Pb and their properties.

Chemical periodicity : s, p, d and f-block elements, periodic Table: periodicity : atomic and ionic radii valency, ionization energy, electron affinity electronegativity, metallic character.

Comparative study of elements: Comparative study of the following families of elements: (i) alkali metals (ii) Alkaline earth metals (iii) Nitrogen family (iv) Oxygen family (v) Halogens (vi) Noble gases.

Transition metals: Electronic configuration of 3d-metal ions, oxidation states, other general characteristic properties, Potassium permanganate, Potassium dichromate.

Co-ordination compounds : Simple nomenclature, bonding and stability, classification and bonding in organometallics.

Chemical analysis: Chemistry involved is simple inorganic qualitative analysis: calculations based on acid-base titrimetry.

Organic Chemistry :

Calculation of empirical and molecular formula of organic compounds, Nomenclature of organic compounds, common functional groups isomerism structure and shapes of alkanes, alkenes and benzene.

Preparation properties and uses of alkynes, alkyl, benzene, petroleum, cracking octane number, gasoline additives.

Nomenclature, Physical chemical properties, correlation of physical properties with structure properties and uses of haloalkanes, halobenzenes, alcohols and phenols: General ideas of some

polyhalogen compounds viz., dicholorothanes, dichloroethers, chloroform, carbon tetrachloride D.D.T., benzene hexachloride.

Nomenclature, methods of preparation, Chemical properties correlations of physical properties with structures and uses of ethers, aldehydes, ketones, carboxylic acids and their derivatives, Brief account of the chemistry of Cyanides, isocyanides, amines and nitro compounds.

Polymers : Classification : Preparation and uses of common natural and synthetic polymers.

Biomolecules : Classification, Structures and biological importance of carbohydrates amino acids, peptides, proteins and enzymes, nucleic acids and lipids.